



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102024-258258
CG-DL-E-26102024-258258

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4298]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 25, 2024/कार्तिक 3, 1946

No. 4298]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 25, 2024/KARTIKA 3, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4674(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3570 (अ) तारीख 22/08/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ जिले में कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे NE-6 के कि.मी. 11.000 से कि.मी. 28.050 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (4 लेन/6 लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "31 अगस्त, 2024" को "दैनिक भास्कर हिन्दी" और "द टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ जिले में कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे NE-6 के कि.मी. 11.000 से कि.मी.28.050 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: लखनऊ		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: सरोजनी नगर					
गांव का नाम: खान्डे देव					
1	1163	निजी	कृषि	0.0293	रमेश कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद ग्राम व पोस्ट बन्थरा बाजार, परगना बिजनौर जिला लखनऊ रामलाल पुत्र रामप्रसाद नि.ग्राम व पोस्ट बन्थरा बाजार हुकुम चन्द्र पुत्र दुलारे नि. शिवपुरा गया प्रसाद पुत्र दुलारे, नि. शिवपुरा रमेश कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद नि. ग्राम व पोस्ट बन्थरा बाजार परगना बिजनौर तहसील जिला लखनऊ श्रीमती तरनजीत कौर पत्नी

					जसमीत सिंह नि. बन्थरा बाजार लखनऊ, रामलाल पुत्र रामप्रसाद नि. ग्राम व पोस्ट बन्थरा बाजार, परगना बिजनौर जिला लखनऊ सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व० हरदयाल सिंह नि. बन्थरा बाजार लखनऊ, अशोक कुमार गुप्ता पुत्र राधेलाल गुप्ता नि. बन्थरा बाजार लखनऊ, श्रीमती श्वेता गुप्ता पत्नी राजकुमार गुप्ता नि. बन्थरा बाजार लखनऊ। श्रीमती कुलवन्त कौर पत्नी सुरेन्द्र सिंह नि. बन्थरा बाजार लखनऊ। 1163
2	1178	निजी	कृषि	0.0036	कन्हैयालाल पुत्र चन्द्रिका प्रसाद, चन्द्रिका प्रसाद पुत्र स्व पुत्तिलाल नि.ग्राम बन्थरा बाजार लखनऊ, दिनेश कुमार, नन्द किशोर, यश कुमार, विजय कुमार, हरगोविन्द प्रसाद पुत्रगण बीरबल यशपाल पुत्र बीरबल निवासी ग्राम पुराही खेडा, तहसील सरोजनीनगर, जिला लखनऊ, राजेश कुमार , राम नरेश पुत्रगण अशर्फी लाल नि. ग्राम श्रीमती अर्चना यादव

					पत्नी यज्ञ विक्रम सिंह निवासिनी रहीमाबाद, बिजनौर लखनऊ श्रीमती सोनम यादव पत्नी उपेन्द्र कुमार सिंह निवासिनी मीरानपुर पिनवट, लखनऊ। 1178
3	1181	सरकारी	गैरकृषि	0.002	चकरोड 1181
4	1191	निजी	कृषि	0.042	महादेव पुत्र अंगनू नि. ग्राम 1191
Total				0.0769	

[फा. सं. NHAI/25016/LA/2018/Notification/PIU/Lucknow/3D]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2024

S.O. 4674(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. No. 3570 (E) Dated:22/08/2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (four-laning/Six laning, etc.), maintenance, management and operation of Kanpur-Lucknow Expressway NE-6 in the stretch of land from Km. 11.000 to Km. 28.050 in the district of LUCKNOW in the state of UTTAR PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar (Hindi)” and “The Times of India (English)” both dated 31 August, 2024; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Kanpur-Lucknow Expressway NE-6 in the stretch of land from Km. 11.000 to Km. 28.050 in the district of LUCKNOW in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: LUCKNOW		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Sarojani Nagar					
Village: Khandedev					
1	1163	Private	Agriculture	0.0293	Ramesh Kumar S/o Hanuman Prasad R/o Village and Post Banthra Bazar, Pargana Bijnor District Lucknow Ramlal S/o Ram Prasad R/o Village and Post Banthra Bazar Hukum Chandra S/o Dulare R/o Shivpura Gaya Prasad S/o Dulare, R/o Shivpura Ramesh Kumar S/o Hanuman Prasad R/o Village and Post Banthra Bazar Pargana Bijnor Tehsil District Lucknow Smt. Taranjit Kaur W/o Jasmeet Singh R/o Banthra Bazar Lucknow Ramlal s/o Ram Prasad R/o Village and Post Banthra Bazar, Pargana Bijnor District Lucknow Surendra Singh S/o late Hardayal Singh R/o Banthra Bazar Lucknow Ashok Kumar Gupta S/o Radhelal Gupta R/o Banthra Bazar Lucknow Smt. Shweta Gupta w/o Rajkumar Gupta R/o Banthra Bazar Lucknow Smt. Kulwant Kaur W/o Surendra Singh R/o Banthra Bazar Lucknow. 1163
2	1178	Private	Agriculture	0.0036	Kanhaiyalal S/o Chandrika Prasad, Chandrika Prasad S/o

					late Puttilal R/o village Banthra Bazar, Lucknow, Dinesh Kumar, Nand Kishore, Yash Kumar, Vijay Kumar, Hargovind Prasad S/o Birbal, Yashpal S/o Birbal R/o village Purahi Kheda, Tehsil Sarjoninagar, District Lucknow, Rajesh Kumar, Ram Naresh S/o Asharfi Lal R/o village, Smt. Archana Yadav W/o Yagya Vikram Singh R/o Rahimabad, Bijnor, Lucknow, Smt. Sonam Yadav W/o Upendra Kumar Singh R/o Meeranpur Pinwat, Lucknow. 1178
3	1181	Government	Non-agriculture	0.002	Chakraod. 1181
4	1191	Private	Agriculture	0.042	Mahadev S/o Anganu 1191
Total				0.0769	

[F. No. NHAI/25016/LA/2018/Notification/PIU/Lucknow/3D]

ABHAY JAIN, Director